राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

अन्तिम अवसर

क्रमांक एफ 4 (20)आकाशि/नि.सं./2020/246 दिनांक 27/05/2020

सचिव/ प्राचार्य
निजी महाविद्यालय
राजस्थान

विषयः– पूर्व में ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रहें पूर्व संचालित निजीमहाविद्यालय हेतु सत्र 2018–19, सत्र 2019–20 व सत्र 2020–21 के लिए ऑनलाइन पोर्टल पुनः खोलने के क्रम में।

संदर्भः– विभाग का समसंख्यक पत्र कमांक 231, दिनांक 13.03.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में लेख है कि ऐसे पूर्व संचालित निजी महाविद्यालय जो किसी कारणवश सत्र 2018–19, 2019–20 व 2020–21 में ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रह गये, उन निजी महाविद्यालयों हेतु एस. बी सिविल याचिका संख्या 19219/2018, 18704/2018, 14121/2019 व 16851/2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले अन्तिम निर्णय के अध्याधीन अन्तिम अवसर प्रदान करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल, दिनांक 20.03.2020 से 31.03.2020 तक खोला गया था, किन्तु कोविड–19 की वजह से लॉकडाउन हो जाने के कारण पोर्टल आरम्भ नही हो पाया। उक्त के संदर्भ में ऑनलाइन पोर्टल पुनः दिनांक 15.06.2020 से 25.06.2020 तक अन्तिम बार खोला जाता है।

इस हेतु निजी महाविद्यालयों को संलग्न प्रारूप में समस्त सूचनाएं दिनांक 14.06.2020 तक आयुक्तालय की निजी संस्था शाखा में व्यक्तिशः उपस्थित होकर उपलब्ध करानी होगीं। तत्पश्चात जांच करने के उपरान्त दस्तावेज सही व पूर्ण पाये जाने पर सम्बन्धित संस्था को आयुक्तालय द्वारा उनकी मेल आईडी पर ऑनलाइन पोर्टल का पासवर्ड प्रेषित किया जावेगा। संस्था को ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन फार्म निर्देशानुसार भर कर लॉक एवं सबमिट करना होगा। आवश्यक दस्तावेजों के अपूर्ण पाये जाने पर संस्था का प्रकरण निरस्त कर दिया जावेगा।

ध्यातव्य है कि जिन निजी संस्थाओं ने पूर्व में उक्त संदर्भ में आयुक्तालय मे व्यक्तिशः उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप में उक्त सूचनाऐं उपलब्ध करवा दी है, उन्हे दोबारा आवेदन की आवश्यकता नही है।

संलग्न– उपर्युक्तानुसार।

(प्रदीप कुमार बोरड़, IAS)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान
जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक (नि. सं.)
कॉलेज शिक्षा राजस्थान
जयपुर।

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	स्थापना वर्ष	अनापत्ति प्रमाण पत्र का स्तर (TNOC/PNOC)	महाविद्यालय का ई–मेल	सचिव का मोबाईल न0 व ई–मेल	अध्यक्ष का मोबाईल न0 व ई–मेल	राज्य सरकार से प्राप्त समस्त NOC की प्रतियां	सम्बद्धक विश्वविद्यालय से प्राप्त अद्यतन सम्बद्धता प्रमाण पत्र की प्रति	पूर्व मे जमा करवाये गये शुल्क की चालान की प्रतियां (सत्र 2018–19, 2019–20 व 2020–21)	पूर्व में किये गये ऑनलाइन आवेदन के प्रथम पृष्ठ की प्रति (सत्र 2018–19, 2019–20)

Scanned with CamScanner